

मुकदमा - हरिपसाद कांड नु. नं. 03/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.4.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर अप्रीति किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फरवरी अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय गैर इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल हुमाद होकर नम्बर से कम होकर बाद तारीख कमिशन दाखिल दफतर हो।</p> <p>श्री-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्य अपील अधिकारी सीकर</p>	<p>माह 4/24</p> <p>Dr. J. S.</p>